संख्या : सा–3– 1509 / दस–2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3– महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 8 नवम्बर, 2011

विषय : आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या : सा–3–103/दस–908 दिनाँक 23 जुलाई, 1998 द्वारा सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 906(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक वर्ष दो बार अर्थात् 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को, आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर जारी करवा दें, परन्तु उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

2– अतः, इस प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 906(1) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जारी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 1998 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को, आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची तैयार कर सम्बन्धित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित की जाय ।

3– समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की सूची निदेशक, पेंशन को, समूह 'ग' के कर्मचारियों की सूची मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को, तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों की सूची सम्बन्धित जनपदीय कोषागारों को भेजी जाय ।

4– पेंशन अदालतों में इस बिन्दु को कार्यवाही / अनुश्रवण के लिये सम्मिलित किया जाय, तथा जिन विभागों द्वारा समूह 'ग' एवं 'घ' की सूची न भेजी जाय, उनकी सूचना मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को दी जाय । समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की सूची जिन विभागों से प्राप्त न हो, उनकी निदेशक, पेंशन द्वारा सूची सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव तथा वित्त विभाग को दी जाय ।

इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव ।

win/cpt/go_Sa_51111

संख्या : सा–3–1509 (1)/दस–2011, तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
2– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव, वित्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
2– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव, वित्त ।